न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 68/22

तारीख दायर 12-4-22

राधेश्याम पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थी

बनाम

1– नन्दा पिता देबीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा राज0

2– राम जी पिता पप्पु जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पुरोहितो का खेडा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा राज0

3– दोला जी पिता मांगीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी पुरोहिता का खेडा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा राज0

––विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11–128 रा0ले0रे0 एक्ट

:–आदेशः–

दिनांक

प्रार्थनापत्र **प्रार्थी श्री राधेश्याम ब्राह्मण** ने जरिये अभिभाषक **श्री सुनिल बाकलिवाल** प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम पुरोहितो का खेडा, पटवार क्षैत्र उमा जी का खेडा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र उमा जी का खेडा, तहसील बिजौलियॉ में स्थित खाता संख्या 222 खसरा संख्या 22 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 412/2 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 416/1 रकबा 0.4452 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.5585 हैक्टेयर भुमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

त्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2074–2077** के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर ख़ातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर ोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

तः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड़ रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **मौजा ग्राम पुरोहितो का खेडा, टवार क्षैत्र उमा जी का खेडा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र उमा जी का खेडा, तहसील बिजौलियॉ में स्थित खाता ख्या 222 खसरा संख्या 22 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 412/2 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 6/1 रकबा 0.4452 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.5585 हैक्टेयर भुमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी ने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ सीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे।

नापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

श सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियॉ